Pragativadi

"Case Ruined My Life": Pragya Thakur After Acquittal in Malegaon Blast Case

https://pragativadi.com/case-ruined-my-life-pragya-thakur-after-acquittal-in-malegaon-blast-case/

July 31, 2025 Ananya Pattnaik

A special NIA court in Mumbai on Thursday acquitted BJP MP Pragya Thakur and six others in the 2008 Malegaon blast case, stating that there was no concrete evidence linking the accused to the explosion that killed six and injured over 100 people.

Special Judge A.K. Lahoti observed that while the blast was proven, the prosecution failed to establish that the LML Freedom motorcycle used in the blast was owned or possessed by Pragya Thakur. The engine and chassis numbers were found to be tampered with, and there was no conclusive evidence proving her connection to the vehicle.

A Long and Controversial Trial

The acquittal concludes a 17-year-long legal battle in one of India's most high-profile terror cases. Pragya Thakur, a former Sadhvi and now a BJP MP from Bhopal, had been accused of orchestrating the attack as a form of retaliation for earlier terror incidents, such as the 2006 Mumbai train blasts.

Thakur was arrested in October 2008 and spent several years in custody. She later secured bail in 2017 on health grounds and entered politics in 2019, winning a parliamentary seat in Bhopal.

Courtroom Reaction

Following the verdict, an emotional Pragya Thakur addressed the court:

"This case ruined my life. I was arrested and tortured. I had lived a life of renunciation as a sanyasi, but was branded a terrorist. No one stood with me. Today, saffron has triumphed, Hindutva has triumphed," she said, adding that divine justice would prevail against those who defamed her.

Charges and Allegations

The prosecution alleged that the bomb was planted on a two-wheeler registered in Thakur's name. Investigators claimed forensic analysis had partially restored the bike's erased engine number. However, the court ruled the link to Thakur was unproven and that suspicion could not substitute for legal proof.

Thakur's co-accused, including former Army officer Lt Col Prasad Purohit, Major Ramesh Upadhyay (Retd), and others, were also acquitted.

Allegations of Torture and Political Controversy

Throughout the trial, Thakur maintained she was falsely implicated and subjected to custodial torture — a claim investigated by the National Human Rights Commission in 2014, which found no evidence.

She sparked further controversy during the 2019 elections by calling Mahatma Gandhi's assassin Nathuram Godse a "patriot" and claiming that she had "cursed" ATS officer Hemant Karkare, who later died in the 26/11 Mumbai attacks. The BJP and Prime Minister Modi distanced themselves from her comments.

What's Next?

With all accused now acquitted, the case adds to the list of prolonged terror investigations ending in collapse due to lack of evidence. The NIA has not yet confirmed whether it will appeal the verdict.

Aaj Tak

'पुड़िया' और 'इंजेक्शन' लेकर विधानसभा पहुंचे MP कांग्रेस के विधायक, BJP सरकार से पूछा- ड्रग माफिया पर कार्रवाई कब?

https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/bhopal-drugs-case-opposition-protested-in-mp-assembly-regarding-law-and-order-lcln-rpti-2300405-2025-07-31

31 जुलाई 2025, 2:52 PM IST Ravis Pal Singh

Bhopal drugs case: विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने पूछा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कीमत कौन चुकाएगा? BJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद भी सरकार की चुप्पी क्यों? ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? MD ड्रग्स के कारोबार के मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मादक पदार्थों (MD ड्रग्स) की तस्करी के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक दल ने ड्रग्स और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. विधायक प्रतीकात्मक ड्रग्स की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया कि युवाओं को बर्बाद करने वाले ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कब होगी.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके नेता प्रदेश में MD ड्रग्स के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं. प्रदेश की सड़कों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक ड्रग्स का जाल फैल चुका है, लेकिन सरकार आंखें मूंदकर बैठी है, क्योंकि इस धंधे से जुड़े कई चेहरे सत्ता के करीब हैं.

सिंघार ने पूछा, "युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कीमत कौन चुकाएगा? BJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद भी सरकार की चुप्पी क्यों? ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? MD ड्रग्स के कारोबार के मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे?"

कांग्रेस ने दावा किया कि BJP की शह पर ड्रग्स का काला कारोबार समाज को खोखला कर रहा है. कांग्रेस विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर विधानसभा से वॉकआउट कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं, लेकिन सरकार आम जनता की समस्याओं को अनदेखा कर रही है.

बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भोपाल में मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स जब्त कर दो तस्करों, यासीन अहमद और शाहवर अहमद, को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और उनके मोबाइल फोन में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए गए पुलिस को आशंका है कि

आरोपी युवतियों को नशे की लत लगाकर उनका शोषण करते थे. इनके तार भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के जाल में फंसाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले से भी जुड़े हैं.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों का संबंध एक बड़े मछली व्यापारी से है, जो कथित तौर पर BJP से जुड़ा हुआ है. कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोपियों के BJP नेताओं से नजदीकी संबंधों का दावा करते हुए कहा कि भोपाल में मादक पदार्थों के माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सामने आया मामला न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह राज्य सरकार की नैतिक और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि यासीन को विधानसभा परिसर के पास से 100 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके BJP के मंत्रियों और नेताओं से गहरे संबंध हैं. पटवारी ने सवाल उठाया, "क्या BJP की सत्ता के गलियारों से मादक पदार्थ के कारोबार को संरक्षण मिल रहा है? मुख्यमंत्री मोहन यादव को बताना चाहिए कि क्या यासीन उनके किसी मंत्री से जुड़ा है?"

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारी आरोपियों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने 'X' पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा, "भोपाल का आपराधिक ताना-बाना समझिए. स्कूल-कॉलेज की हिंदू लड़कियों को पार्टियों के बहाने मादक पदार्थों की लत लगाकर दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, सामूहिक यौन शोषण और इस्लाम में धर्मांतरण का दबाव बनाकर 'सेक्स स्लेव' बनाया जा रहा है."

कानूनगो ने दावा किया कि यासीन और शाहवर के फोन में 20 से अधिक लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं. उन्होंने कहा कि एक आरोपी के चाचा की पुलिस अधिकारियों से दोस्ती के कारण निष्पक्ष जांच संभव नहीं है. पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा वीडियो में दिख रही युवतियों की तलाश कर रही है और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है

New Indian Express

CM stand unacceptable, law on honour killing must: CPM politburo member

https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2025/Jul/31/cm-stand-unacceptable-law-on-honour-killing-must-cpm-politburo-member

31 Jul 2025, 8:12 am

“Political parties should take a firm stand regarding dowry harassment. Film actors should announce that they will not receive dowry,” Vasuki said.’

KANNIYAKUMARI/MADURAI: CPM politburo member U Vasuki on Wednesday said the state government should enact a law to prevent castebased killings.

Speaking to reporters, Vasuki, who is also the all India vice president of the All India Democratic Women’s Association (AIDWA), said, “Chief Minister M K Stalin’s stand that existing laws are adequate to prevent caste-based killings is not acceptable.”

A special session of the TN Assembly should be convened to enact separate legislation as crime and atrocities against women and children are increasing in the state, she added.

“Political parties should take a firm stand regarding dowry harassment. Film actors should announce that they will not receive dowry,” Vasuki said.

Meanwhile, addressing reporters in Madurai, A Kathir, executive director of Evidence — an NGO working for rights of the SC/ST community — said that the National Law Commission of India, National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Women and National Commission for Minorities should come together and prepare a draft model for a special Act against honour killing, as per the apex court’s guidelines.

“The Supreme Court has given 20 guidelines in the Shakti Vahini vs Union of India case on March 27, 2018, to prevent honour killings. One such guideline instructs states to implement a special Act against honour killings. When CM Stalin was the opposition leader, he said that the DMK will enact a separate law against honour killings.However, after coming to power, he has said that there is no need for such a law,” Kathir said.

The SC must take suo motu cognisance against states that have not adopted guidelines issued by it in the 2018 case, he added.

Nainar, Kanimozhi react

Three days after the caste-based killing of Dalit youth C Kavin Selvaganesh, Tamil Nadu BJP president and Tirunelveli MLA Nainar Nagenthran on Wednesday issued a statement condemning the incident and urging the state government to act against such crimes. Calling the killing an inhuman act, he also expressed condolences to the family.

“I urge the Tamil Nadu police and the ruling DMK government to take appropriate measures to prevent such continuing cases of caste atrocities, sexual violence, drug-related issues, murders and robberies in the state,” he said. The delayed response from prominent leaders, including Nagenthran, drew criticism on social media.

Meanwhile, in a social media post on Wednesday, DMK MP from Thoothukudi, Kanimozhi Karunanidhi, expressed shock and grief over the honour killing. CPI state president R Mutharasan also condemned it, demanding stringent punishment for the accused and urging the state to enact a separate law to prevent honour killings.

Janta Se Rishta

CM का रुख अस्वीकार्य, ऑनर किलिंग पर कानून जरूरी: सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य

https://jantaserishta.com/local/tamil-nadu/cms-stand-is-unacceptable-law-on-honour-killing-is-necessary-cpm-politburo-member-4182786

31 July 2025 4:54 PM Tulsi Rao

कन्याकुमारी/मदुरैः सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य यू वासुकी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को जाति आधारित हत्याओं को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।

पत्रकारों से बात करते हुए, वासुकी, जो अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा, "मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का यह कहना कि जाति आधारित हत्याओं को रोकने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं, स्वीकार्य नहीं है।"

उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए अलग से कानून बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।

वासुकी ने कहा, "राजनीतिक दलों को दहेज उत्पीड़न के संबंध में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। फिल्म अभिनेताओं को घोषणा करनी चाहिए कि वे दहेज नहीं लेंगे।"

इस बीच, मदुरै में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन, एविडेंस के कार्यकारी निदेशक ए कथिर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनर किलिंग के खिलाफ एक विशेष अधिनियम का मसौदा तैयार करना चाहिए।

“सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च, 2018 को शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ मामले में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए 20 दिशानिर्देश दिए थे। ऐसा ही एक दिशानिर्देश राज्यों को ऑनर किलिंग के खिलाफ एक विशेष अधिनियम लागू करने का निर्देश देता है। जब मुख्यमंत्री स्टालिन विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने कहा था कि द्रमुक ऑनर किलिंग के खिलाफ एक अलग कानून बनाएगी। हालाँकि, सत्ता में आने के बाद, उन्होंने कहा है कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है,” कथिर ने कहा।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को उन राज्यों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जिन्होंने 2018 के मामले में उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों को नहीं अपनाया है।

नैनार, कनिमोझी की प्रतिक्रिया

दलित युवक सी कविन सेल्वगणेश की जाति-आधारित हत्या के तीन दिन बाद, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और तिरुनेलवेली विधायक नैनार नागेंद्रन ने बुधवार को एक बयान जारी कर घटना की निंदा की और राज्य सरकार से ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। हत्या को अमानवीय कृत्य बताते हुए, उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "मैं तमिलनाडु पुलिस और सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार से राज्य में जातिगत अत्याचार, यौन हिंसा, नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों, हत्याओं और डकैतियों के ऐसे मामलों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।" नागेंथ्रन सहित प्रमुख नेताओं की देरी से प्रतिक्रिया की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई।

इस बीच, बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, थूथुकुडी से द्रमुक सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने ऑनर किलिंग पर दुख और शोक व्यक्त किया। भाकपा के प्रदेश अध्यक्ष आर मुथरासन ने भी इसकी निंदा की और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की और राज्य से ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक अलग कानून बनाने का आग्रह किया।

Indian Masterminds

IGNFA: India Welcomes 109 New IFS Officers from Record-Breaking 2023-25 Batch; MP Tops List

https://indianmasterminds.com/news/india-109-new-ifs-officers-2023-25-mp-tops-133484/

July 31, 2025 Bureau

Madhya Pradesh Leads With 17 Officers, 22 Women Included in Batch; Bhutan Sends Two Cadets

Dehradun: In a significant moment for India's forestry and environmental governance, the nation has received 109 new Indian Forest Service (IFS) officers from the 2023–2025 batch, trained at the Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA). The convocation ceremony, held at the Forest Research Institute (FRI) auditorium in Dehradun, marked the passing out of the largest IFS batch of the 21st century.

The batch also included two officers from Bhutan, bringing the total number of trained officers to 111.

Justice V Ramasubramanian Urges Integrity and Rule of Law

The Chief Guest, Justice V Ramasubramanian, Chairman of the National Human Rights Commission, addressed the graduating officers, emphasizing the importance of discipline, ethical conduct, and adherence to rules.

“Breaking rules might bring short-term gains, but long-term peace and success lie in upholding them,” he told the officers.

Kerala's Midhun Mohan SB Bags Top Honours

The All-Round Outstanding Performance Award went to Midhun Mohan SB from the Kerala cadre, who also secured the BN Gaguli Academic Excellence Award and the KM Tiwari Memorial Award. His exceptional performance across academic and leadership parameters set him apart in this landmark batch.

Other Major Award Winners

Several officers received awards for excellence in specific domains-

Best Forestry: Prithviraj KSB, Uttar Pradesh

Topper in Forestry Subjects: Shobhit Joshi, Madhya Pradesh

Hill Memorial & Sulochana Naidu Memorial Awards: Shobhit Joshi and Ajay Gupta, Madhya Pradesh

Wildlife Management (EPG) & Nilgiri Club Awards: Ajay Gupta and Shubham Singh, Karnataka

Senior Forester & DH Kulkarni Awards: Neelam M, Uttar Pradesh

Spirit of 1982 Award (1st & 2nd): Prithviraj KSB (UP) and Shubham Singh (Karnataka)

22 Women Among 109 Indian Officers

Of the 109 IFS officers, 22 are women, reflecting a positive trend toward gender diversity in India’s premier environmental service. Notably, 50 officers scored more than 75%, underlining the academic rigour and quality of the batch.

Madhya Pradesh Tops State-wise Distribution

The batch had the highest representation from Madhya Pradesh (17), followed by Uttar Pradesh (12) and AGMUT (7). Here’s a brief state-wise breakdown-

Madhya Pradesh – 17

Uttar Pradesh – 12

AGMUT – 7

Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal – 6 each

Andhra Pradesh, Himachal, Maharashtra – 5 each

Chhattisgarh, Rajasthan, Jharkhand – 4 each

Assam–Meghalaya, Haryana, Uttarakhand – 3 each

Bihar, Kerala – 2 each

Punjab, Telangana, Tripura – 1 each

Bhutan – 2

IGNFA Director Shares Legacy and Impact

Dr. Jagmohan Sharma, Director of IGNFA, shared that the institute has trained 367 Indian IFS officers and trainees from 14 friendly nations to date. He added that the

2023–25 batch has been sensitized to governance principles, environmental laws, biodiversity protection, and sustainability during their training.

Officials from various institutions, including Chief Forest Conservator Sameer Sinha, attended the ceremony.

Deccan Chronicle

Odisha Govt Engineer Allegedly Served Urine Instead Of Water, Probe Underway

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/andhra-pradesh/odisha-govt-engineer-allegedly-served-urine-instead-of-water-probe-underway-1894833

31 July 2025 10:05 PM Akshaya Kumar Sahoo

In a deeply unsettling incident, a junior engineer posted at the Rural Water Supply and Sanitation (RWSS) office at R Udayagiri in Odisha's Gajapati district, was allegedly served urine instead of drinking water by a peon

Bhubaneswar: In a deeply unsettling incident, a junior engineer posted at the Rural Water Supply and Sanitation (RWSS) office at R Udayagiri in Odisha's Gajapati district, was allegedly served urine instead of drinking water by a peon. The matter, which occurred on the night of July 23, has triggered outrage and is currently under police investigation.

According to official sources, Sachin Gouda, who had joined the RWSS office just a day earlier on July 22, requested water after dinner. In response, peon Siba Narayan Nayak reportedly handed him a stainless steel bottle containing a suspicious liquid. Gouda and two other staffers, Ghana and Surya, consumed the liquid and raised concerns about its taste and smell.

Following the incident, a first information report (FIR) was lodged at R Udayagiri police station. A preliminary lab test detected 2.0 PPM (parts per million) of ammonia in the sample, raising suspicion of urine contamination. A second sample was sent to a lab in Paralakhemundi, Gajapati district headquarters, for confirmation. Gouda reportedly fell ill and was under medical treatment.

The complaint has also been forwarded to the Odisha Water Resources Directorate and the National Human Rights Commission (NHRC), seeking strict action against the accused.

Describing the ordeal, Gouda told reporters, "After drinking from the bottle, I felt uneasy. Two colleagues also tried it and confirmed something was wrong." Peon Siba Narayan Nayak, however, denied the allegation.

"I had brought the water from an aqua guard machine and placed it in the junior engineer's room along with his food. I don't know what happened after that. I am innocent and have left everything to God," he told the media.

Dainik Jagran

Odisha: चपरासी ने इंजीनियर को पानी के बदले पिला दिया पेशाब, पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत

https://www.jagran.com/odisha/0-the-peon-made-the-engineer-drink-urine-instead-of-water-in-odisha-24000276.html

Fri, 01 Aug 2025 02:00 AM (IST) Jeet Kumar

ओडिशा के गजपति जिले में एक इंजीनियर ने अपने कार्यालय के चपरासी पर उन्हें धोखे से पेशाब पिला देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना 23 जुलाई की बताई जा रही है। ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग (आरडब्ल्यूएसएस) के अभियंता सचिन गौड़ा ने प्राथमिकी आवेदन में लिखा है कि उन्होंने 22 जुलाई को ही कार्यालय में जूनियर इंजीनियर के तौर पर योगदान दिया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गजपति जिले में एक इंजीनियर ने अपने कार्यालय के चपरासी पर उन्हें धोखे से पेशाब पिला देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना 23 जुलाई की बताई जा रही है।

23 जुलाई को भोजन के बाद पानी मांगने पर दिया पेशाव

ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग (आरडब्ल्यूएसएस) के अभियंता सचिन गौड़ा ने प्राथमिकी आवेदन में लिखा है कि उन्होंने 22 जुलाई को ही कार्यालय में जूनियर इंजीनियर के तौर पर योगदान दिया है। 23 जुलाई को रात का भोजन करने के बाद उन्होंने चपरासी सिबा नारायण नायक से पानी मांगा।

इंजीनियर का आरोप है कि चपरासी ने उन्हें पीने का पानी कहकर एक स्टील की बोतल थमा दी, जिसमें बाद में पेशाब होने का संदेह हुआ। दो अन्य कर्मचारियों ने भी उसी बोतल से पानी पीया और उन्होंने भी पानी से आ रही बदबू और स्वाद के आधार पर बोतल में पानी की जगह पेशाब होने की आशंका जताई।

पानी के नमूने को एक स्थानीय प्रयोगशाला में भेजा

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बोतल में बचे पानी के नमूने को एक स्थानीय प्रयोगशाला में भेजा गया। निर्णायक जांच के लिए दूसरा नमूना परलाखेमुंडी की एक प्रयोगशाला में भेजा गया है।

घटना के बाद बीमार हुए इंजीनियर

घटना के बाद इंजीनियर गौड़ा कथित तौर पर बीमार हो गए और उनका इलाज चल रहा है। आर उदयगिरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। यह मामला ओडिशा जल संसाधन निदेशालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के समक्ष भी उठाया गया है।

Janta se Rishta

मद्रास उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर के खिलाफ मामलों में शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया

https://jantaserishta.com/amp/local/tamil-nadu/madras-high-court-directs-speedy-trial-in-cases-against-youtuber-4182904

2025-07-31 12:02 GMT Bharti Sahu

CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर 'सवुक्कु' शंकर के खिलाफ लंबित 24 आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया है और पुलिस को एक निश्चित समय सीमा के भीतर 13 और मामलों में जाँच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को निर्देश जारी करने वाले न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने आदेश दिया कि 24 मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाए और शेष 13 मामलों की जाँच चार महीने के भीतर पूरी करके आरोप पत्र दाखिल किए जाएँ।

शंकर द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए ये निर्देमद्रास उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर के खिलाफ मामलों में शीघ्र सुनवाई का निर्देश दियाश जारी किए गए, जिसमें ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त को उनके मीडिया संगठन, सवुक्कु मीडिया के कामकाज में कथित रूप से हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अदालती आदेश देने की मांग की गई थी। उन्होंने तमिलनाडु के गृह सचिव और डीजीपी से इस साल फरवरी, मई और जून में उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने का भी अनुरोध किया था।

अदालत के पहले के आदेश का पालन करते हुए, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे. रवींद्रन ने डीजीपी की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट के अनुसार, शंकर के खिलाफ 13 मामले अभी आरोपपत्र तैयार करने के चरण में हैं, जबकि 24 अन्य निचली अदालतों में लंबित हैं।

एएजी ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर गृह सचिव और डीजीपी द्वारा पहले ही विधिवत विचार किया जा चुका है।याचिका खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने कहा कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता के मीडिया संगठन के मामलों में हस्तक्षेप के दावों को पुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री नहीं है।

'घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की याचिका पर विचार करें'

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को तमिलनाडु में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया। डिंडीगुल निवासी याचिकाकर्ता के. सीतालक्ष्मी, जो 30 वर्षों से घरेलू कामगार हैं, ने कहा कि घरेलू कामगारों के काम के घंटे, वेतन और अधिकारों को विनियमित करने के लिए कोई पर्याप्त कानूनी ढांचा

नहीं है। उन्होंने कहा कि हालाँकि अन्य क्षेत्रों के लिए कानून मौजूद हैं, फिर भी घरेलू कामगार बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। न्यायमूर्ति एस. श्रीमति ने मुख्य सचिव और श्रम विभाग को राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप प्रतिनिधित्व पर विचार करने और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया।